

आदेश - पत्रक

343 / 5

अनुसूचित 14-फारम नं० 562

(देश अधिनियम, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक से
जिला **दा० खा० वा० सं०**

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और पराधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित															
1	2	3															
	<p>श्री श्रीमती सीमा सिंह 35 श्रीमा कुमारी श्री सतन गिह ग्राम होरी पहाडी थाना साबरम जिला जायपुर पं० थाना नं० 8375 दिनांक 28/5/12</p> <p>आधार पर निम्नलिखित नामों पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>नाम का नाम</th> <th>लैजी नं०</th> <th>थाना नं०</th> <th>खसरा</th> <th>एराजी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पद्मिनी</td> <td>-20</td> <td>05</td> <td>158</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>66</td> <td>160</td> <td>ch</td> </tr> </tbody> </table> <p>मूल आवेदन पत्र हस्ताक्षरों को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। मसाल पर सूचना जारी कर आपत्ति को मांग कर। अधिलेख दिनांक 21/5/12 को उपस्थित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी अंचल अधिकारी</p> <p>मसाल पर नामित नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खरिज हेतु की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल खरिज किया जाता है। शुरु. पत्र जारी है।</p> <p>लिखित एवं मुद्रित सिद्धांत</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी</p>	नाम का नाम	लैजी नं०	थाना नं०	खसरा	एराजी	पद्मिनी	-20	05	158	1200			66	160	ch	
नाम का नाम	लैजी नं०	थाना नं०	खसरा	एराजी													
पद्मिनी	-20	05	158	1200													
		66	160	ch													